झारखण्ड सरकार,
विधि विभाग,
झारखण्ड मंत्रालय, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची–834004

–:: विज्ञापन ::–

विज्ञापन संख्या–01/2024

(विधि विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी व्यवहार न्यायालयों में लेख्य प्रमाणकों की नियुक्ति)

नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के प्रावधानों के निहित राज्य सरकार द्वारा राज्य के व्यवहार न्यायालयों में झारखण्ड राज्य बार काउंसिल/सभी जिला अधिवक्ता संघ से पंजीकृत विधि व्यवसायी को राज्य के लेख्य प्रमाणकों के स्वीकृत पद के विरूद्ध लेख्य प्रमाणकों के रिक्त पदों पर विहित प्रपत्रों में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

2. जिला/अनुमंडलवार रिक्त पदों का विवरण :–

क्रमांक	जिला/अनुमंडल का नाम	रिक्त पद
01	02	03
1	बोकारो	06
2	तेनुघाट	01
3	कोडरमा	06
4	चतरा	04
5	दुमका	04
6	गोड्डा	09
7	गिरिडीह	05
8	जामताड़ा	02
9	साहेबगंज	05
10	पाकुड़	02
11	देवघर	04
12	धनबाद	11
13	लोहरदगा	09
14	सिमडेगा	05
15	गुमला	07
16	जमषेदपुर	09
17	घाटषिला	01
18	सरायकेला–खरसावाँ	02
19	चाईबासा–चक्रधरपुर	04
20	लातेहार	02
21	पलामू	05
22	गढ़वा	05
23	राँची	04
24	खूँटी	02
25	हजारीबाग	04
26	रामगढ़	02
	कुल	120

(कृ0पृ0उ0)

techranchi.in

3. **<u>वांछित योग्यता</u>**:– नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 के प्रावधानों के अंतर्गत अहर्त्ता प्राप्त विधि व्यवसायी द्वारा लेख्य प्रमाणकों के पद पर नियुक्ति हेतु निम्नांकित अहर्त्ताएँ आवश्यक हैः–

(क) न्यूनतम 10(दस) वर्षों का विधि व्यवसाय ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 07(सात) वर्षों का विधि व्यवसाय।

(ग) महिलाओं के लिए 07(सात) वर्षों का विधि व्यवसाय।

4. जिस जिला में रिक्ति हेतु पद विज्ञापित है, उस जिले में व्यवसायरत विधि व्यवसायी को प्राथमिकता दी जाएगी ।

5. नोटरी नियमावली, 1956 के नियम–3 में वांछित योग्यता अर्थात् विधि व्यवसायी की अवधि की आवश्यक अहर्त्ता (अनारक्षित के लिए 10 (दस) वर्ष, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला के लिए 07 (सात) वर्ष) के उपर प्रति वर्ष अनुभव के लिए 01 (एक) अंक दिया जायेगा एवं अधिकतम अंक पानेवाले आवेदक के ही नामों की अनुशंसा की जाएगी । अनुभव का वर्ष समान रहने पर माह एवं दिनों की संख्या में जिनका अनुभव ज्यादा होगा, उन्हें नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

6. सभी बिन्दुओं पर समान होने की स्थिति में उम्र में वरीय आवेदक को प्राथमिकता दी जाएगी।

7. **<u>आवेदन पत्र भरने हेतु आवष्यक शर्त्त एवं निर्देष</u>** :–

(क) कंडिका–2 के स्तम्भ–2 में उल्लेखित जिलों में विधि व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता रिक्त पदों के विरूद्ध नोटरीज नियमावली, 1956 के कंडिका–4 के प्रावधानों के आलोक में संबंधित जिलों के न्यायायुक्त/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/पीठासीन पदाधिकारी (न्यायालय/न्यायाधिकरण) के कार्यालय के माध्यम से सचिव–सह–विधि परामर्शी, झारखण्ड सरकार, राँची को आवेदन करेंगे। विधि विभाग में सीधे भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(ख) निम्नांकित वांछित प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ अवष्य संलग्न किया जाय :

(i) मैट्रिक या समकक्ष का प्रमाण पत्र।

(ii) विधि स्नातक या समकक्ष का प्रमाण पत्र।

(iii) विधि व्यवसाय का प्रमाण पत्र

(iv) जाति प्रमाण पत्र (अनु0 जाति/अनु0 जनजाति की स्थिति में)

(ग) प्रकाषित विज्ञापन के आलोक में ही प्राप्त अभ्यावेदन विचारणीय होगा। विज्ञापन प्रकाषन के पूर्व प्राप्त सभी आवेदनों को स्वतः रद्द समझा जाएगा।

8. नोटरीज अधिनियम, नोटरी नियमावली के अंतर्गत प्रावधान, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देश यथावत् लागू रहेंगे ।

9. **<u>नियुक्ति शुल्क</u>** :–

वैसे अभ्यर्थी/अधिवक्ता जो इस विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर विभागीय समिति द्वारा संवीक्षा ;बतनजपदलद्ध के पष्चात् सरकार द्वारा अनुषंसित किये जायेंगें, को उपरोक्त नोटरी नियमावली के प्रावधानों के अनुसार व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी करने हेतु नियुक्ति शुल्क के रूप में रू0–1000/– का ट्रेजरी चालान जमा करना होगा तथा व्यवसाय प्रमाण पत्र जारी होने के पष्चात् ही नियुक्त नोटरी अपने क्षेत्र में व्यवसाय प्रारंभ कर सकेगें।

10. **<u>अंतिम तिथि</u>**:–

(क) सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र विहित प्रपत्र [(Form-I & Form-II, Rule-4(2))] में भर कर विज्ञापन प्रकाषन के एक माह के अंदर अर्थात् दिनांक–**01.07.2024** से दिनांक–**30.07.2024** निश्चित रूप से संबंधित जिलें के न्यायायुक्त/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/न्यायालय या न्यायाधिकरण के पीठासीन पदाधिकारी के पास जमा करा दें। विधि विभाग में सीधे भेजे गये आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। न्यायायुक्त, राँची तथा सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीष/पीठासीन पदाधिकारी प्राप्त सभी आवेदन, अन्तिम तिथि के पष्चात् तीन कार्यदिवस के अंदर अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त कराना सुनिष्चित करेंगें।

(ख) अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा विभाग इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा ।

(नलिन कुमार),
प्रधान सचिव–सह–विधि परामर्शी,
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

techranchi.in